सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 32078/2013, रवीन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31 मई, 2013 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के आधार पर होमगार्ड्स विभाग के श्री रवीन्द्र प्रसाद, ब्लॉक अर्गानाइजर से उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि श्री रवीन्द्र प्रसाद अनुसूचित जाति के कार्मिक हैं तथा उत्तराखंड के मूलनिवासी हैं । अनुसूचित जाति आवंटन नीति से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इस कार्मिक के आवेदन स्विकृत किये जाने कि संस्तुति की गई । परंतु राज्य पुनरावंटन से पूर्व इनके जाति तथा मूलनिवास की पुष्टी करवा ली जाएगी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री रवीन्द्र प्रसाद, ब्लॉक अर्गानाइजर का राज्य पुनरावंटन उनके जाति तथा मूलनिवास की पुष्टी के उपरांत उत्तराखंड राज्य के लिये किया जाएगा ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग,46,बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।